



उत्तर प्रदेश U.P. BANGLADESH

FW 512308



(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली किल्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी प्रारूप-अ का प्रारूप:-

इन कित्थुन बन्द दूबे एवं शक्यतला दूबे क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक में सत्य नरायन द्विवेदी शिक्षा समिति पता- ग्राम- दादपुर पोस्ट- नरायनपुर कला, जनपद- सुलतानपुर लखनपूरक निम्नवत् बयान करतो है-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा में सत्य नरायन द्विवेदी कालेज ऑफ फार्मसी पता ग्राम - बडीली तहसी- कादीपुर जनपद- सुलतानपुर नामक किल्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम में सत्य नरायन द्विवेदी कालेज ऑफ फार्मसी पता ग्राम - बडीली तहसी- कादीपुर जनपद- सुलतानपुर में गाटा संख्या 208 रकबा 2.0213 एकड़ भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी दाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

सत्य नरायन द्विवेदी
अध्यक्ष एवं प्रबंधक
सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम
सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम

(Signature)

4. यह कि उपरोक्त प्लॉ पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के माटा संख्या 208 के संख्या 0. 82280 के भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन कार्मेली संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02.07.2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा इन कार्मेली संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के संकाय उपरोक्त प्लॉ पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निरीक्षण समिति के संकाय निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्मेली कारागिराल आर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के निर्देशों से अधिनियम ही डिप्लोमा इन कार्मेली संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि इस संस्था में कार्मेली कारागिराल आर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्मेली कारागिराल आर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद उच्च लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/अर्द्धटीकडाई आदि का संचालन न हो पूर्व में कमी किया गया है, और न हो भविष्य में कमी किया जाएगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा रूम, प्रयोगशालाओं एवं कवररहालुओं आदि को कार्मेली कारागिराल आर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक सैलिक एवं असैलिक स्टाफ की वैभागी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सब प्रायम के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का बलीभाति पालन करेगा। यदि ये संस्था में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिखत मया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई लिखित कार्यवाही नहीं की जाएगी।



यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सचिव द्वारा किये गए बयान सचिव के द्वारा किये गए बयान के अनुसार सही है।

सचिव का स्थान
 08 अक्टूबर 2021

सचिव का स्थान
 08 अक्टूबर 2021

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सच है और मैं किसी भी प्रकार की धमकी/बलात्कार/दस्तावेज फर्जी, कूटनीतिक अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निम्नानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।